(राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)

राज्य स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति हेतु कार्य मार्गदर्शिका

एवं

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका

रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(छत्तीसगढ़)

अमर अग्रवाल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

छत्तीसगढ़ शासन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद

विषय–सूची

भाग 1 – ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के लिए कार्य मार्गदर्शिका

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन.....1
2. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन क्यों ?.....1
3. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति का गठन किस स्तर पर ?.....3
4. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के सदस्य.....3
5. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के गठन हेतु चयन प्रकिया.....5
6. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के प्रमुख कार्य.....5
7. अनटाईड फंड का उपयोग किस प्रकार करेंगे ?.....7
8. ग्राम सभा और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति.....8
9. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों एवं अन्य सहयोग करने वाले लोगों की भूमिकाएं.....9
10. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति द्वारा अनटाईड फंड हेतु खाता खोलने और राशि आहरण एवं राशि व्यय की प्रकिया.....14
11. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति की बैठक प्रकिया.....14
12. लेखा संधारण एवं रिकार्ड संधारण प्रकिया.....15
13. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति की सकियता की निगरानी.....17
14. ग्राम स्वास्थ्य योजना.....17
15. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति की निगरानी राज्य, जिला व विकासखण्ड स्तर पर.....18
16. ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में खाता खोलने हेतु आवश्यक प्रपत्र–अनुलग्नक **A,B,C,D,E**.....20

भाग 2 – विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका

1. मितानिन प्रशिक्षक **(BRP)**.....26
2. जिला स्त्रोत व्यक्ति **(DRP)**.....26
3. स्वयं सेवी संगठन **(NGO)**के सदस्य एवं कम्यूनिटी मानिटरिंग फ्रेमवर्क.....27
4. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी **(BMO)**.....27
5. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी **(CEO)**/पंचायत इंस्पेक्टर.....28
6. क्षेत्र समन्वयक **(FC)**.....29
7. नोडल अधिकारी (मितानिन कार्यक्रम).....29
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी **(CMHO)**.....30

मुख्यमंत्री स्वस्थ्य पंचायत योजना

छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायतों का ध्यान स्वास्थ्य की ओर दिलाने व पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने में पंचायतों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री स्वस्थ्य पंचायत योजना का प्रारंभ 2005 में किया है। इसके अंतर्गत 32 स्वास्थ्य एवं मानव विकास सूचकांक को आधार मानकर पारावार जानकारी सभी परिवारों से एकत्रित कर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विकासखंडवार पंचायतों की रैंकिग कर प्रथम दो उत्कृष्ट पंचायतों को पुरुस्कृत किया जाता हैं एवं अंतिम दो पंचायतों को आर्थिक सहायता स्वरुप राशि दी जा रही हैं।

योजना का उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार नही है, अपितु इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि 32 सूचकांको पर आधारित पारावार डाटा पर ग्राम स्तरीय चर्चा कर स्वस्थ पंचायत योजना बनाना है और योजना बनाने में पारावार डाटा के विश्लेषण की अहम भूमिका हैं। स्वस्थ्य पंचायत योजना के मुख्य उद्देश्य को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं –

- पंचायतों एवं ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं की क्षमता विकसित करना तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।
- पंचायतों के पास स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले सभी बिंदुओं की जानकारी रहे, ताकि योजनानुसार निगरानी कर सकें।
- पंचायत तथा ग्राम स्तरीय योजनाओं के कियान्वयन में अंर्तविभागीय समन्वय तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।
- पंचायतों के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित करना जिसकी सहायता से पंचायतें अपने ग्रामों/आश्रित ग्रामों में स्वास्थ्य में आ रही बेहतरी, कमजोरियां तथा इसमें अपनी भूमिका को स्वयं देखकर समझ सकें तथा नियमित अंतराल में इसकी समीक्षा कर सकें।
- हर पंचायतों में स्थानीय स्वास्थ्य योजना बनाना जिससे कि पहचानी गई कमियों को दूर करने तथा कमजोर क्षेत्रों का सुधार के लिए नियमित तथा कारगर प्रयास प्रारंभ हो सके।
- प्रत्येक विकासखण्ड के अन्तर्गत् कमजोर एवं उपेक्षित गांव/मोहल्लों की पहचान करना ताकि विकासखण्ड, जिला तथा प्रदेश स्तर पर इन पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाते समय जिन मानव विकास सूचकांको पर ध्यान दिया जाना है, वे हैं –

1. संस्थागत प्रसव
2. नवजात शिशु की देखभाल
3. कमजोर बच्चे को रेफर करना
4. टीकाकरण
5. विवाह की उम्र
6. परिवार नियोजन
7. जन्म अंतराल
8. शिशु मृत्यु की संख्या
9. माताओं की मृत्यु संख्या
10. कुपोषण
11. स्कूली शिक्षा
12. मध्यान्ह भोजन
13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन दुकान)
14. पीने का पानी/जमा हुआ पानी का निकास

आप भी अपनी पंचायत के ग्रामों में उपरोक्त सूचकांकों पर चर्चा कराते हुए पहले ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाएं, फिर ग्रामों की योजना से पंचायत की स्वास्थ्य योजना तैयार करें।

1.राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

केन्द्र शासन द्वारा अप्रेल 2005 में आने वाले सात वर्षो (2005–12) में सभी ग्रामीण जनों तक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की गई। 18 कमजोर राज्यों (जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है) जहाँ कि स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं एवं लोक स्वास्थ्य सूचकांक कमजोर हैं, पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए मिशन दौरान केन्द्र शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य पर होने वाले वर्तमान व्यय का जो प्रति सौ रूपये में 90 पैसा है, बढ़ाकर 2 से 3 रूपये (प्रति सौ रूपये) किया जावेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख रणनीति अंतर्गत् स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ग्राम पंचायतों, समुदाय की भागीदारी एवं महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं को बेहतर बनाना है। मिशन में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में इस प्रकार वृद्धि करने को लक्षित किया गया है, जिससे पंचायतें लोक स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर ढंग से नियंत्रण व प्रबंधन कर सके। प्रत्येक ग्राम की स्वास्थ्य योजना का निर्माण ग्राम की स्वास्थ्य एवं स्वछता समिति द्वारा करना भी मिशन की प्रमुख रणनितियों में से एक है। समुदाय एवं पंचायतों की भागीदारी में गुणात्मक बेहतरी के साथ–साथ उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा लोगों के लिए प्रभावी एवं उपयोगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मि ान का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए इन केन्द्रों को आवश्यक दक्षता के मानवीय संसाधनों, उपकरणो एवं अधोसंरचनाओं से परिपूर्ण करना मिशन के प्राथमिक कार्यो में है। मिशन के उपर्युक्त सामूहिक प्रयासों से अंततः राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुँच सरल होगी, शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु में कमी आएगी, जनसंख्या स्थिरिकरण होगा, बीमारी दरों में कमी आएगी, लोग बेहतर एवं मानक स्तर का स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

हमारे राज्य में भी मिशन अंतर्गत कई गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। जिसके अंतर्गत् उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक की समस्याओं को पंचायत के माध्यम से हल हेतू ए.एन.एम. एवं सरपंच के संयुक्त खाते में अनटाइड फंड दिया गया है। सामुदायिक स्तर पर मितानिन (आशा) को सहयोग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु मिशन अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन कर, 10,000 रूपये का अनटाइड फंड भी दिया जा रहा है, जिससे समिति ग्राम के लिए ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाकर ग्राम में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने वाले कार्यो को स्वयं, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के मार्गदर्शन में कर सकेगी।

2.ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन क्यों?

ग्रामों के संपूर्ण विकास के लिए संविधान की धारा 40 की मूल भावना अनुसार 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुरूप हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों जनपद पचायतों व जिला पंचायतों का गठन किया गया है। ग्रामों के विकास हेतु कई

कार्यों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। चूँकि पंचायतों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और सरपंच द्वारा सभी कार्यों का निर्वहन भी अकेले नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्यों को सुचारु रुप से कियान्वियत करने के लिये नवीन संशोधनों के साथ छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य व्यवस्था में 5 स्थायी समितियां बनाई गई हैं, जिनको अलग–अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

ग्राम पंचायत

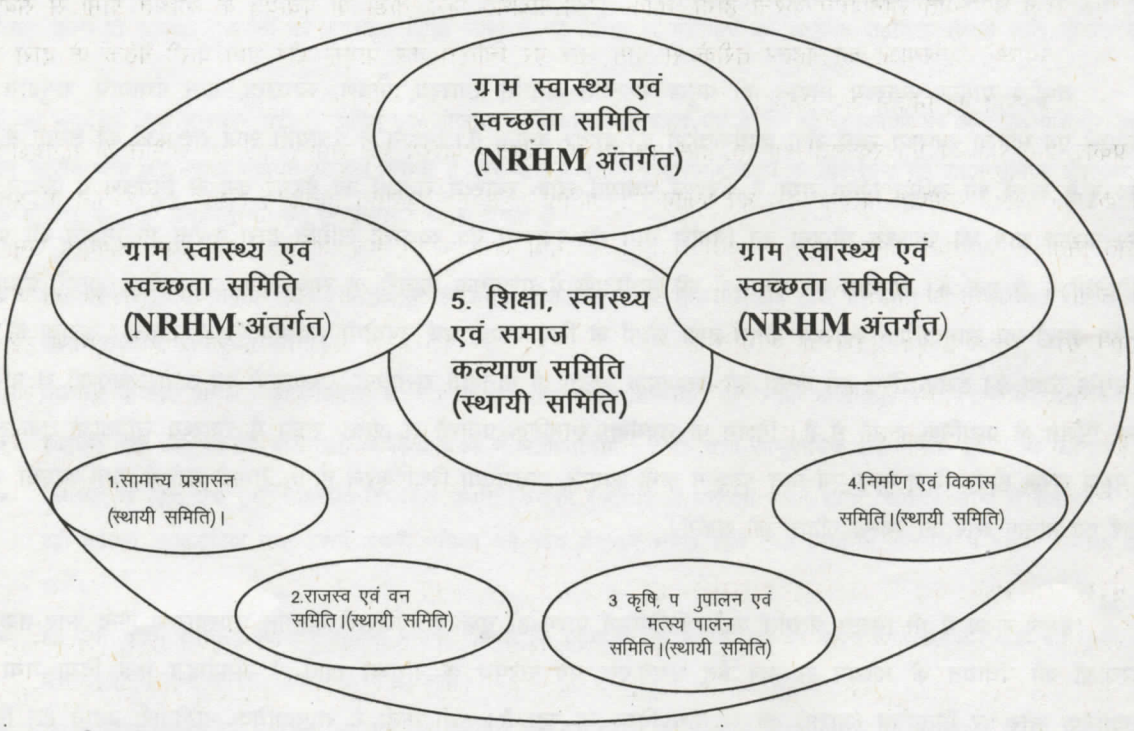

इन समितियों में से मानवीय संसाधनों के विकास से जुड़ी स्थायी समिति "शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति" है। इन सभी समितियों का सभापति सरपंच होता है तथा चार पंच सदस्य होते हैं। उपसरपंच प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होता है। "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के अंतर्गत मिले अवसर से ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (Village Health And Sanitation Committee, VHSC) का गठन किया जावेगा। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा पंचायतीराज अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थायी समिति "शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति" का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, जिससे लोक स्वास्थ्य के व्यापीकरण में सफलता भी सुनिश्चित हो सकेंगी। इस हेतु निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है, जिससे स्थायी समिति को कियाशील करते हुये उसके माध्यम से ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुरुप किया जा सकता है–

- व्यावहारिक तौर पर "स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों की स्थाई समिति "शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति" को कार्यशील बनाया जाना होगा।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति केंद्रीकृत संचालन पर निर्भर ना रहे और स्थानीय तौर पर आवश्यकतानुसार योजना बनाकर कार्य करें, इसके लिये ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को स्थानीय आवश्यक कार्यों हेतु वित्त एवं मानवीय संसाधन को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों या अन्य नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्थान देना होगा।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठकों में '' शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा, ताकि इससे संबंधित पारों, वार्डो या पंचायत के आश्रित ग्रामों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर तरीके से ग्राम स्तर पर चिन्हित कर पायेंगे और ग्राम वासी बैठक के द्वारा उस समस्या का निदान कर सकेंगे।

इस प्रकार ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत की शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। इसकी संयोजक प्रत्येक गांव की पंजीकृत मितानिनों में से एक चयनित मितानिन होगी। इस समिति के अंर्तगत चयनित मितानिन, पंचायत सचिव, ग्राम के अन्य चयनित प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंच, महिला समूह ,स्वयं सहायता समूह, व अन्य नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों को ग्राम के मानव संसाधन से जुड़े मुददों के लिए पहल कर सुलझाने का अवसर मिलेगा। **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को 10000/– स्वतंत्र राशि '' अनटाइड फंड'' देकर प्रभावी बनाया जा रहा है। यह मात्र प्रोत्साहन राशि है। पंचायत चाहे तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महिला बाल विकास, समाज एवं पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग से सहयोग लेकर अपने पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति को ऊपर उठाने के लिए विशेष पहल कर सकती है।

3. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किस स्तर पर ?

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत बनने वाली इस समिति का गठन ग्राम स्तर पर इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राम के स्तर पर विभिन्न पारों की समस्याओं को चिन्हित किया जा सके तथा उस आधार पंर योजनाएं बनाई जा सके। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी ग्रांम पंचायत में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की संख्या एक हो सकती है, किसी में दो और उससे अधिक भी हो सकती है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की संख्या पंचायत स्तर पर इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस पंचायत के अन्तर्गत् कितने राजस्व ग्राम आते हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन पंचायत की स्थायी समिति के सदस्यों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।

4. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य–

अध्यक्ष– उस ग्राम का पंच होगा जो कि ग्राम पंचायत की ''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' का सदस्य हो। यदि उस ग्राम का कोई भी पंच ''शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं समाज कल्याण समिति का सदस्य नहीं है, तो उस ग्राम के अन्य पंच को ग्राम पंचायत द्वारा अध्यक्ष, चयनित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसे पंच

को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जनजाति, अनुसुचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। महिला पंच को प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

सचिव – पंचायत कर्मी या पंचायत सचिव ही इस समिति का सचिव होगा।

संयोजक – गाँव की कोई एक चयनित मितानिन इस समिति की संयोजक होगी। (गाँव की अन्य मितानिन को वर्षवार संयोजक के कार्य हेतु अवसर दिया जाना है।)

सदस्य –

- ग्राम के सकिय स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। (यदि ग्राम में एक से अधिक स्वयं सहायता समूह हो तो सभी के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।)
- उस ग्राम की प्रत्येक पारे की महिला स्वास्थ्य समिति, महतारी समिति के अध्यक्ष
- ग्राम में यदि सकिय युवा समिति है तो उसका अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य होगा।
- ग्राम में स्थानीय सकिय स्वयं सेवी संगठन या अन्य नागरिक संगठन हो तो उसका अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य होगा।

अनिवार्य आमंत्रित सदस्य –

समिति में उस ग्राम के कुछ अन्य लोगों को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना आवश्यक होगा। ग्राम की पाठ ाला का प्रधानाध्यापक(या अन्य शिक्षक), ए.एन.एम. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का हैण्डपंप मैकेनिक इस समिति के अनिवार्य आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। जिनकी उपस्थिति समिति की बैठकों के दौरान सुनिश्चित की जावेगी।

उपरोक्त कुल सदस्यों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों। उपरोक्त संरचना अनुसार "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के कुल सदस्यों की संख्या प्रत्येक ग्राम में भिन्न–भिन्न हो सकती हैं।

उपरोक्त सदस्यों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों की भी सकिय भूमिका हो सकती है, जिनसे सहयोग हेतु समिति समय–समय पर उनसे आग्रह कर सकेगी–

- ग्राम स्तर पर सभी पारे की मितानिनें।
- सभी वार्डों के पंच ,जनप्रतिनिधिगण।
- यदि उस ग्राम में जाति पंचायत है तो उसके अध्यक्ष।
- उस ग्राम की दाईयां।
- विशेष जाति/जनजाति क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व अवश्य हो।
- यदि ग्राम में राशन दुकान है तो उसका संचालक।
- उस ग्राम में यदि कोई मान्यता प्राप्त डॉक्टर (MBBS/ BAMS) है।
- मितानिन प्रशिक्षिका , यदि उसी ग्राम में रहती हो।
- यदि ग्राम में जल एवं स्वच्छता समिति है तो उसके सभी सदस्य।
- कोटवार /कोटवारिन।

5. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के गठन हेतु चयन की प्रकिया –

समिति के अध्यक्ष, सचिव, संयोजक एवं सदस्यों का चयन निम्नानुसार किया जावेगा –

अध्यक्ष का चयन :–

- यदि उस ग्राम पंचायत में एक राजस्व ग्राम है तो वह पंच जो पंचायत की स्थायी समिति –''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति ''का सदस्य हो, वह अध्यक्ष हो सकता है। अगर पंचायत की स्थाई समिति ''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण'' में प्रत्येक ग्राम से प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरपंच को यह सुनिश्ति करना होगा कि इस समिति में सभी ग्राम से प्रतिनिधित्व आ सके। इसके लिए सरपंच को स्थाई समिति का विस्तार करते हुए छुटे हुए ग्रामों के पंचो को स्थाई समिति में मनोनीत करना होगा, लेकिन इसमें ऐसे पंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अनसुचित जनजाति, अनसुचित जाति, महिला और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। इस प्रकार समिति का अध्यक्ष एक जन प्रतिनिधि होगा।

सचिव का चयन :–

- पंचायत कर्मी या पंचायत सचिव ही इस समिति का सचिव होगा। चाहे वह पंचायत के किसी भी आश्रित राजस्व ग्राम की समिति का हो ।

संयोजक का चयन :–

- संयोजक की जिम्मेदारी के लिए गांव के किसी पारे की एक मितानिन का चयन करना होगा। ऐसी मितानिन जो गांव के समस्त मितानिनों के बीच से चुनी हुई हो और उसे अन्य सभी मितानिनों की आम सहमति भी प्राप्त हो। इस प्रकिया को पंचायत सचिव एवं मितानिन प्रशिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सम्पन्न कराया जाय। संयोजक मितानिन की कार्य अवधि एक वर्ष की होगी व अगले वर्ष पुनः चयन किया जायेगा ताकि गांव की अन्य मितानिनों को भी इस समिति के नेतृत्व का मौका मिल सके।

सदस्यों का चयन :–

- पूर्व पृष्ठ में दिये गये मार्गनिर्देशकों के अनुरूप।

6. ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति के प्रमुख कार्य–

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति अपने ग्राम में निम्न कार्यों को संपादित करेगी ,नियमित स्थायी समिति को अपने कार्य की जानकारी देगी –

- ग्राम के सभी लोगों को अनिवार्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना, पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले लाभ को दिलाना सुनिश्चित करना और इन योजनाओं की निगरानी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्राम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कियान्वयन सुनिश्चित करना। प्रभावी कियान्वयन हेतु लोगों की सकिय भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- ग्राम में ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू का निर्धारित दिवसों में भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए उनके द्वारा लोगो को दी जाने वाली सेवाओं को ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना।
- ग्राम में सभी जन्म, मृत्यु और विवाह का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम में होने वाले मृत जन्म और शिशु मृत्यु की तुरंत सूचना चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को देना।
- ग्राम में अनाज बैंक होने पर उसे मजबूत करने अथवा नये अनाज बैंक की स्थापना के लिये लोगों को प्रेरित करना।
- ग्राम के सभी लोगों को सूचना बोर्ड या कैलेण्डर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्येक ग्राम भ्रमण पर उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी स्वास्थ्य कैलेण्डर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना।
- यदि ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत कार्य चल रहे हों तो कार्यस्थल पर महिला/बच्चों/अन्य के स्वास्थ्य के लिये आव यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास करना।
- ग्राम में विभिन्न विभागों द्वारा "स्वास्थ्य–पोषण–स्वच्छता" के लिये ग्राम को मिलने वाली राशि का संयोजन कर समिति के निर्णय अनुसार व्यय करने का प्रयास करना।
- किसी बीमारी की महामारी और बच्चों में कुपोषण की जानकारी संबंधित ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी को देना।
- ग्राम पंचायत में लोगों की सकिय भागीदारी से जल प्रदाय योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करना। यदि योजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल हो तो सभी ग्राम समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर सभी पंचायतों की एक समिति का गठन इस कार्य हेतु करना।
- पारावार 32 सूचकांको पर चर्चा कर ग्राम के लिये ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना व कियान्वयन सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य पंचायत योजना अंतर्गत ग्राम संबंधित प्राथमिकताओं के नियोजन, कियान्वयन एवं निगरानी को सुनिश्चित करना।
- जो परिवार बाहर से उस ग्राम में आते हैं तो उस दौरान ऐसे परिवारों से चर्चा करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाऐ उपलब्ध कराना (विषेशकर आंगनबाड़ी केंद्र और उपस्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली सेवाओं को)। ग्राम

से पलायन करने वाले परिवारों की जानकारी तैयार करना और सम्भव हो तो ग्राम पंचायत को यह जानकारी देते हुए उनके पलायन को रोकने का प्रयास करना।

- इसी प्रकार ग्राम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित अगर कोई अन्य समस्या हो, तो समिति उस समस्या के निदान हेतु निर्णय कर प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती है।
- उपरोक्त सभी कार्यो के कियान्वयन हेतु समिति का वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर तैयार करना।

7. अनटाईड फंड का उपयोग किस प्रकार करेंगे ?

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राप्त 10,000/–रुपये (अनटाइड फण्ड) का उपयोग अपनी समस्या अनुसार प्राथमिकता तय कर करेगी। ध्यान रहे कि समिति द्वारा व्यक्तिगत हितकार्यो के स्थान पर सामाजिक कार्यो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वस्थ्य पंचायत योजना अंतर्गत ग्राम के लिए उन निर्धारित कार्यो को प्राथमिकता दी जा सकती है जिसके लिए अन्य स्त्रोतों से धनराशि की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पा रहा हो। समिति, ग्राम पंचायत को उनकी समिति के लिए प्राप्त 10,000/– राशि को निम्न कार्यों पर व्यय करेगी–

- ग्राम में स्वच्छता और पोषण संबंधी दीवार लेखन/नारा लेखन आदि कार्य में व्यय की जा सकती है। इनमें ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन का कार्य/रोस्टर भी सम्मिलित है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र/ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मिलने वाली सेवाओं का लेखन भी सम्मिलित है। शौचालय सम्बन्धी और मच्छरदानी संबंधी जानकारी को इसमें अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- ग्राम में स्वच्छता हेतु अति आवश्यक निर्माण (जैसे हैण्डपंप के लिए सोखते गड्ढो का निर्माण, एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण) कार्य जिससे ग्राम में अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों में स्पष्ट कमी लाई जा सके। राशि का उपयोग निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री के लिये ही किया जावे जबकि उसके लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था ग्रामवासियों के श्रम दान द्वारा की जावेगी।
- ग्राम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने हेतु रैली/स्वास्थ्य शिविर/स्वास्थ्य संबंधी फिल्म प्रदर्शन, कला जत्था, स्वास्थ्य प्रतियोगिता, किशोर/किशोरी परिचर्चा, सिकिल सेल जाँच शिविर, ग्राम में सफाई अभियान (ग्राम वासियों के श्रम दान द्वारा) स्थानीय आहार प्रदर्शनी आदि गतिविधियाँ कराई जा सकती है।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय से संबंधित अनुभवी व्यक्तियों को बुलवाकर ग्राम में लोगों को इससे सम्बधित जानकारी देने के लिए तथा विषय अनुभवी व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान करने हेतु किया जा सकता है।
- बिगड़े हैण्डपम्प/नल जल योजना के अंतर्गत मरम्मत (रिपेंयरिंग) हेतु (यदि पूर्व निर्धारित स्त्रोतो से राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो) विशेषकर पुर्जो का कय एवं कुशल कारीगर की मजदूरी आदि पर व्यय किया जा सकता है।
- ग्राम में महामारी होने पर आकस्मिक व्यय (सूचना भेजने तथा अति आवश्यक व्यय) पर किया जा सकता है।

- समिति रिकॉर्ड संधारण/पत्राचार आदि हेतु स्टेशनरी सामग्री के लिए समिति के निर्णय अनुसार व्यय कर सकेगी।
- समिति यदि निर्णय लेती है कि ग्राम के पारों में स्वयंसेवी मितानिनों के द्वारा संपादित कार्य (जैसे परिवारों का सर्वे आदि)के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है ;तो उस पर भी व्यय किया जा सकता है।
- **स्वस्थ पंचायत योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों को पुरस्कार या सहयोग राशि प्राप्त हुई हैं, उसे उस पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को बराबर–बराबर बाँटा जा सकता है, जिससे राशि का उपयोग ग्राम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के हल के लिए ही उपरोक्तानुसार किया जा सके।**

सभी प्रकार के व्यय में इस बात का ध्यान रहे कि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पास कुल 10,000/–रुपये हैं और इस राशि का उपयोग इस तरह से किया जाए कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इसलिए समिति यह ध्यान में रखें और आपस की बैठक में तय करें की समिति को प्राप्त राशि का अधिकतम एवं उचित उपयोग हो तथा 10,000/–रुपये की राशि को एक ही जगह न खर्च करें। यह भी ध्यान में रखा जावे कि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग उन चीजों पर न हो जिनमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने पहले से राशि दी हुई है तथा प्राथमिकता तय करते समय कोई अतिव्यापन (Overlapping) न हो। इसके लिए निम्न मार्गदर्शी बिन्दु का पालन कर सकती है–

- जहां तक संभव हो ,श्रम अनुदान /श्रमदान के माध्यम से राशि की बचत की जाए। जैसे सोखता गड्ढ़ा खोदने हेतु /नाली खोदने हेतु ,निर्माण कार्य में मजदूरी कार्य आदि ।
- यथा संभव पहले विभागीय बजट (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) से राशि प्राप्त करना /जैसे कि स्वच्छता अभियान /नारा लेखन आदि हेतु/महिला बाल विकास – विभाग /स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है।
- ग्राम पंचायत को उपलब्ध मुलभूत राशि के मद से राशि प्राप्त करना ,साथ ही ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति की ओर से ग्राम पंचायत, स्थानीय स्त्रोतों जैसे जल कर के माध्यम से आय अर्जित करने में मदद करेगी।

संयोजक मितानिन ग्राम में होने वाली प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य–स्वच्छता समिति द्वारा किए गए कार्यों के व्यय का संपूर्ण ब्यौरा ग्राम सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करेगी।

8. ग्राम सभा और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति–

ग्राम सभा की प्रत्येक त्रैमासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्यों /मुद्दों की चर्चा के लिए एवं व्यय के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण सचिव व संयोजक मितानिन द्वारा किया जावेगा। इस चर्चा हेतु समय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सभी सदस्यो को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं को अध्यक्ष व चयनित मितानिन के माध्यम से ग्राम सभा में चर्चा हेतु रखा जायेगा। ग्राम की अन्य सभी मितानिनें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष व संयोजक मितानिन को ग्राम सभा में अपने गांव की समस्या रखने में सहयोग प्रदान करेंगी। ग्राम सभा के अलावा

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक में मितानिनें अपने पारे की समस्या को सुझाव व विचार हेतु प्रस्तुत करेंगी। सरपंच की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं के कियान्वयन पर प्रशासन व समुदाय से उचित सहयोग प्राप्त हो। साथ ही साथ समिति द्वारा अब तक किए गए व्यय का सामाजिक अंकेक्षण कर देयको (व्हाऊचर) पर ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की तिथि भी अंकित की जावेगी।

9. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों एवं अन्य सहयोग करने वाले लोगों की भूमिकाएं–

सरपंच	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठकों की निगरानी करना, उसमें ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उस स्तर पर कार्यवाही हेतु भेजना। • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के प्रस्तावों एवं किए गए कार्यो की प्रस्तुति के लिए ग्राम सभा में अवसर सुनिश्चित कराना। • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की कार्य योजना के आवश्यक मुद्दों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करना । • ग्राम पंचायत /जनपद /जिला पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उन स्तरों तक प्रेषित करना /रखना। • समिति के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना के आवश्यक बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना। • यदि उस ग्राम में जिला या जनपद पंचायत सदस्य है तो उसे भी समय –समय पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को बैठकों में आमंत्रित करना ।
अध्यक्ष	• समय पर लगातार मासिक बैठक में नेतृत्व प्रदान कर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को सक्रिय बनाये रखना । • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की वार्षिक /अर्धवार्षिक कार्य योजना के कियान्वयन के लिए प्रयास करना। • समय पर आय–व्यय की गतिविधियों को सुनिश्चित करना । • लोगो को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में जोड़ने एवं समस्या निदान करने के लिए पहल करना। • ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्यो की प्रस्तुति सुनिश्चित कराना ।

सचिव	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की प्रत्येक बैठक की तिथि का निर्धारण संयोजक के साथ करना । • सभी सदस्यों को बैठक की सूचना मिलने को सुनिश्चित करना। • त्रैमासिक व्यय की जानकारी प्रतिवेदन तैयार करने में मदद करना एवं समीक्षा ,कमियों एवं उपलब्धियों पर समिति का ध्यान केन्द्रित कराना। • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की कार्य योजना के आवश्यक मुद्दों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करना । • समिति के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना के आवश्यक बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना। • समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। • समिति में की गई चर्चा एवं निर्णय का दस्तावेजीकरण करना। • ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उन स्तरों तक प्रेषित करना/रखना। • कार्य योजनानुसार राशि का आहरण एवं कैश बुक संधारण सुनिश्चित करना। • बैठक में लिए निर्णयों की समस्त जानकारी ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में प्रस्तुत करना एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना।
हैण्ड पंप मैकेनिक (सहयोगी)	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बैठक में अगर हैण्ड पम्प से संबंधित कोई समस्या आती हैं तो उस समस्या के हल हेतू उपाय सुझाना। • लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की हैण्ड पम्प से सम्बन्धित सभी जानकारियों से समिति को अवगत कराना। (कलपुर्जो ,बजट आदि) • उसके द्वारा हैण्ड पम्प की मरम्मत और रख रखाव सम्बन्धित किए गए कार्यो से प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराना।
राशन दुकान संचालक (सहयोगी)	• समिति के सभी सदस्यों को राशन दुकान के खुलने का समय, दुकान में उपलब्ध अनाज , योजनाओं की जानकारी समिति को समय–समय पर देते रहना।
वार्ड पंच (सहयोगी)	• वार्ड में लोगों के साथ मिलकर लोगों को ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर ग्राम सभा की बैठक में शामिल कराना। • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य को ग्राम सभा एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठकों में रखना।

	• अपने वार्ड की समस्या को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठको में प्रस्तुतकरना।
ए.एन.एम. (अनिवार्य आमंत्रित सदस्य)	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को समय –समय पर आवश्यक परामर्श देना। • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठक में उपस्थित होकर सहयोग देना। • उपस्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देते हुए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को वार्षिक कैलेण्डर बनाने में सहयोग करना । • सेवा संबंधी कठिनाइयों से ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराना। • ग्राम में प्रत्येक शिशु /बाल मृत्यु पर समीक्षा (कारणो की पहचान कर) कर विस्तृत जानकारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को देना एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की ओर से इस पर प्रतिवेदन ,खण्ड चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना। • उपस्वास्थ्य केन्द्र के अनटाइड फंड का उपयोग, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन प्रस्ताव अनुसार आवश्यक होने पर उस संबधित ग्राम के लिए सुनिश्चित करना। • परिवार नियोजन कैम्प, नेत्र चिकित्सा शिविरों, सिकिल सेल शिविरों की जानकारी प्रदान करना। • जननी सुरक्षा योजना की जानकारी देना एवं उससे सम्बन्धित गत माह में निपटाए गए प्रकरण पर जानकारी देना।
शिक्षक/प्रधानाध्यापक (अनिवार्य आमंत्रित सदस्य)	• समिति को स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर सलाह देना। • समिति द्वारा स्वच्छता/ स्वास्थ्य संबंधी लिए गए निर्णयों के कियान्वयन में सहयोग देना। • मध्यान्ह भोजन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी शाला से जुड़ी गतिविधियों से समिति को अवगत कराना।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (अनिवार्य आमंत्रित सदस्य)	• आंगनबाड़ी केन्द्र में कुपोषण पर जानकारी **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** को प्रस्तुत करना । ग्राम के पारे की मितानिनों के साथ मिलकर पारावार कुपोषण की स्थिति को प्रस्तुत करना। (विशेषकर वजन कराने वाले परिवार एवं ग्रेड अनुसार बच्चे) • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की केन्द्र के अंतर्गत होने वाली समस्या को समिति में रखना। • सेवा संबंधी कठिनाइयों से **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** को अवगत कराना। (पूर्व प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण, ,पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा सत्र, संदर्भ सेवा।) • ग्राम में प्रत्येक माह कुपोषण पर समीक्षा कर विस्तृत जानकारी **ग्राम स्वास्थ्य एवं**

	स्वच्छता समिति को देना एवं **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** का इस पर प्रतिवेदन ,खण्ड चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी को भिजवाना सुनिि चत करना।
अध्यक्ष – स्वसहायता समूह / महिला स्वास्थ्य समिति / महतारी समिति के सदस्य	• ग्राम में स्थानीय समस्या का चिन्हांकन, पारे की नियमित बैठकों में करते हुए **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** में मितानिन के माध्यम से प्रस्तुत करना। • समूह के पास उपलब्ध राशि एवं ऋण का ब्यौरा आवश्यकतानुसार **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** को प्रस्तुत करना। यदि समूह मध्यान्ह भोजन /राशन दुकान /आंगनबाड़ी में पा पोषण आहार आदि कार्य कर रहे है, तो उसकी जानकारी देना। • सभा में पारे के सभी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
अध्यक्ष, युवा समिति (सदस्य)	• ग्राम में स्थानीय समस्या का चिन्हांकन पारे की नियमित बैठकों में करते हुए **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** में मितानिन के माध्यम से प्रस्तुत करना। • सभा में पारे के सभी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। • युवा शक्ति का समिति के रचनात्मक कार्यों में उपयोग करना।
कोटवार / कोटवारिन (सहयोगी)	• मसिक बैठकों की सूचना सदस्यों को देना । • ग्राम सभा की सूचना गांव के लोगों को देना। • गांव में होने वाले समस्त जन्म व मृत्यु की सूचना ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को देना।
ग्राम पंचायत की शिक्षा,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के सदस्य (सहयोगी)	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के बैठक प्रतिवेदनो पर स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा करना एवं ग्राम पंचायत को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य (सहयोगी)	• ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को ग्राम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी कार्य योजना /गतिविधियो से अवगत कराना । • शौचालय निर्माण के सभी पहलुओं से ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराकर अधिक से अधिक ग्रामीणों को इस कार्य हेतु तैयार करने में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मदद लेना ।
मितानिन (सहयोगी)	• सभी मितानिनें अपने पारे की समस्याओं को संयोजक मितानिन के सहयोग से **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक में रखेंगी। • अपने –अपने पारे में महिला स्वास्थ्य समिति सहायता समूह की बैठक को नियमित करते हुए समस्याओं की सूची प्रस्तुत करेगी।

	• दवा पेटी में उपलब्ध दवाईयों एवं उसके वितरण की जानकारी समिति को देना। • **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक मैं अपनी मितानिन प्रशिक्षिका के सहयोग से ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर व मितानिन डायरी का उपयोग कर सामाजिक सुरक्षा। • ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर के उपयोग से पारों में परिवारवार पीड़ित व्यक्तियों की जानकारी प्रस्तुत करेगी
संयोजक मितानिन (ध्यान रहे स्वयं सेवी कार्यकर्ता है।)	• मार्गदर्शिका प्राप्त होते ही ग्राम पंचायत और स्थानीय समिति के माध्यम से **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** का गठन पूर्ण करना। • ग्राम के सभी पारों की महिला स्वास्थ्य समिति को मितानिनों के माध्यम से सक्रिय कर ,पारों की समस्याओं को **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की** बैठकों में सामने लाना। • सभी सदस्यों को बैठक की सूचना सुनिश्चित करना। • त्रैमासिक व्यय की जानकारी प्रतिवेदन तैयार करने में मदद करना एवं समीक्षा ,कमियों व उपलब्धियों पर समिति का ध्यान केन्द्रित कराना। • समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। • ग्रम सभा में समिति के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना। • पारे मे होने वाली शिशु मृत्यु को **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक में ध्यान में लाना । • पारे में टीकाकरण लेने वाले बच्चों की जानकारी **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के ध्यान में लाना। विशेषकर दूर पारे व छूटने वाले बच्चों /परिवारो की जानकारी । • **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए राशि का आहरण सचिव के माध्यम से करते हुए कार्यों का कियान्वयन सुनिश्चित कराना । • पारावार कुपोशण की जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक में ध्यान में लाना । • ग्राम स्वास्थ्य योजना के निर्माण एवं कियान्वयन हेतु संबंधित जानकारियां **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** बैठक में प्रस्तुत करना। पंचायत स्तर पर बनने वाली स्वास्थ्य पंचायत योजना के लिए ग्राम स्वास्थ्य योजना प्रस्तुत करना। • मितानिन डायरी के माध्यम से पारावार अनुसुचित जनजाति/अनुसुचित जाति परिवार, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार ,भूमिहीन परिवार ,पलायन करने वाले, वृद्ध, विकलांग, विधवा ,परित्यक्ता आदि की जानकारी **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक मे प्रस्तुत करना । इसके लिए डायरी को समय से पूरा करना व मितानिन प्रशिक्षक से सहयोग प्राप्त करना । • प्रति माह सभी पारों के जननी सुरक्षा योजना और उसके लाभार्थियों व योजना के अन्तर्गत्

	छूटे प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करना। • ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर के उपयोग से पारों में परिवारवार पीड़ित व्यक्तियों (पलायन करने वाले /विकलांग /विधवा /परित्यक्ता /वृद्ध आदि) की जानकारी प्रस्तुत करना।

10. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनटाईड फंड हेतु खाता खोलने और राशि आहरण एवं राशि व्यय की प्रकिया–

- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत द्वारा स्थायी समिति के माध्यम से उपरोक्तानुसार **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** का गठन किया जावेगा। अनुलग्नक "A" "B" "C" के उपयोग से **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के संयोजक व सचिव का संयुक्त बैंक खाता " ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, ग्राम....." के नाम से, नजदीक के बैंक में खोला जावेगा।
- बैंक खाता खुलवाने के लिए जो प्राथमिक व्यय होता है उस राशि की व्यवस्था सरपंच द्वारा मुलभूत राशि या अन्य मद से की जा सकती हैं जो कि ग्राम पंचायत को बैंक खाता खुलवाने के पश्चात् वापस की जावेगी।
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के निर्णय के अनुसार सचिव और संयोजक मितानिन संयुक्त रूप से राशि का आहरण कर सकेगें। जिसकी सूचना समय–समय पर ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठकों में दी जावेगी।
- प्रत्येक वर्ष माह जनवरी की ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराते हुए सम्पूर्ण व्यय का ब्यौरा ग्राम पंचायत द्वारा ए.एन.एम. के माध्यम से खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दिया जावेगा। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसे जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित किया जावेगा।

11. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक प्रक्रिया–

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठको में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

1. प्रस्ताव/अनुमोदन प्रकिया

- ग्राम के सभी पारों में मौजूद महिला स्वास्थ्य समिति/स्व सहायता समूह/महतारी समिति, अन्य सामुदायिक समूह के सदस्य द्वारा बैठक कर पारे स्तर की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समस्याओं को मितानिन के नेतृत्व में सूचीबद्ध किया जा कर **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की मासिक/त्रैमासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठक में मितानिन द्वारा पारेवार प्रस्तुत समस्याओं की सूची पर एवं सदस्यों द्वारा सुझाए गए अन्य समस्याओं की सूची पर खुली चर्चा करते हुए ग्राम के लिए आवश्यक गतिविधियों की प्राथमिकता तय की जावेगी। प्राथमिकता तय करते समय पारों में कुपोषित बच्चों की स्थिति

छूटे हुए वर्ग/पारे (विशेश कर महिला, विधवा, विकलांग, अनुसुचित जनजाति/अनुसुचित जाति आदि) की दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जावेगा।

- प्राथमिकता सूची के आधार पर आवश्यक कार्यो का प्रस्ताव जिसके लिए राशि की आवश्यकता है, का अनुमोदन **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा किया जाना होगा। जिसके पश्चात सचिव एवं संयोजक मितानिन संयुक्त रुप से राशि आहरण कर सकेंगे।

2. समीक्षा :–

- कार्य आधारित बिंदुवार समीक्षा प्रत्येक बैठक में, राशि के व्यय, कार्यो आदि पर आवश्यक चर्चा की जानी चाहिए।
- बैठक प्रतिवेदन शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति की मासिक बैठक में संयोजक मितानिन द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12. लेखा संधारण एवं रिकार्ड संधारण प्रक्रिया–

➢ **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की गतिविधियों के लिए रिकार्ड हेतु आवश्यक अभिलेख –

- सूचना एवं बैठक पंजी
- कैश बुक
- बिल/व्हाऊचर फाइल
- उपयोगिता प्रमाण पत्र – संबंधी फाइल
- अन्य दस्तावेजों के संधारण हेतु फाइल
- ग्राम में जन्म/मृत्यु प्रकरणों की जानकारी पंजी

➢ **सूचना एवं बैठक पंजी** :– इस पंजी में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठको के दौरान लिए गए निर्णय, चर्चा के मुख्य बिन्दु का विवरण रखा जायेगा । इसका संधारण संयोजक मितानिन के द्वारा किया जायेगा।

क्र.	सदस्यों का नाम	बैठक का विवरण स्थान सहित	हस्ताक्षर
1			
2			

- **उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी फाइल** – समिति उनके द्वारा व्यय की गई राशि के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से ए.एन.एम. को उपलब्ध कराएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए अनुलग्नक "D", "E" का उपयोग किया जा सकता है।

- **कैश बुक** :– कैश बुक में आय एवं व्यय का ब्यौरा रखा जावेगा। इसका संधारण सचिव के द्वारा किया जावेगा।

आय प्राप्ति				व्यय ब्यौरा			
क्रं	दिनांक	आय का विवरण	राशि	क्रं	दिनांक	व्यय विवरण	राशि
कुलआय				कुल व्यय			
पूर्व शेष				पूर्व शेष			
महायोग				महायोग			

- **बिल/व्हाऊचर फाइल** :– वाऊचर को व्यवस्थित रखने हेतु इस फाइल का उपयोग किया जावेगा । सभी देयकों में रखे व्हाऊचर पर संयोजक व सचिव के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही जिस ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा उसकी तिथि भी संयोजक मितानिन द्वारा अंकित की जाएगी। इसका संधारण सचिव के द्वारा किया जायेगा।

- **अन्य दस्तावेजों के संधारण हेतु फाइल**:– इस पंजी में सभी पत्रों को व्यवस्थित तरीके से रखा जावेगा। इस फाइल में सभी आवक पत्रों व जावक पत्रों को रखा जावेगा। इसका संधारण संयोजक मितानिन के द्वारा किया जायेगा।

- **जन्म/मृत्यु प्रकरण पंजी** – इसमें समिति जन्म/मृत्यु के प्रकरणों का ब्यौरा रखने के साथ–साथ यह जानकारी रखेगी कि ऐसे प्रकरणों के परिवारों को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र मिला या नहीं ? यदि नहीं तो किन कारणों से। उसे हल करने हेतु समिति द्वारा किये गये उपाय। इसका संधारण संयोजक मितानिन के द्वारा किया जायेगा।

13. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता की निगरानी–

- **ग्राम पंचायत द्वारा** – ग्राम पंचायत स्तर की स्थायी समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, सुनिश्चित करेगी कि **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठकें नियमित हो रही है उसके द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर समय से कार्यवाही की जा रही है या नहीं ।
- **ग्राम सभा द्वारा** – संयोजक मितानिन हर ग्राम सभा में **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** के कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए उस पर चर्चा कराएगी और सुनिश्चित करेगी कि किए गए कार्यो का प्रत्येक ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण हो।

14. ग्राम स्वास्थ्य योजना –

छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायतों का ध्यान स्वास्थ्य की ओर दिलाने व पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने में पंचायतों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना का प्रारंभ 2005 में किया । इसके अंतर्गत 32 स्वास्थ्य एवं मानव विकास सूचकांक को आधार मानकर पारावार जानकारी सभी परिवारों से एकत्रित की गई। इस आधार पर विकासखंडवार पंचायतों की रैंकिग कर प्रथम दो उत्कृष्ट पंचायतों को पुरुस्कृत किया गया एवं अंतिम दो पंचायतों को आर्थिक सहायता स्वरुप राशि दी गई।

ये आंकड़े केवल आंकड़े न रहकर पंचायत के स्वास्थ्य की बेहतरी में उपयोग किया जा सके और ग्राम के लोगों के साथ मिलकर स्वस्थ पंचायत योजना का निर्माण किया जा सके, इसके लिये एक बेहतर स्वस्थ पंचायत येाजना निर्माण की आवश्यकता है, जिससे उसके प्रत्येक ग्राम की भागीदारी सुनिश्चित हो। सामान्यतः यह देखने में आता है, कि जिस ग्राम में बैठक आयोजित की जाती है, अधिकांशतः उसी ग्राम के लोग ही योजना निर्माण में शामिल होते हैं तथा अन्य ग्राम के लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाती, जिसके कारण ना तो सभी ग्रामों की समस्यायें सामने आ पाती हैं, न ही उससे संबंधित उपाय पर विचार हो पाता है। अंततः जब पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन किया जाता है, तो वह एक ग्राम पर आधारित हो जाती है, इस प्रकार आश्रित ग्रामों की भागीदारी योजना निर्माण एवं कियान्वयन दोनों स्तरों पर छूट जाती है।

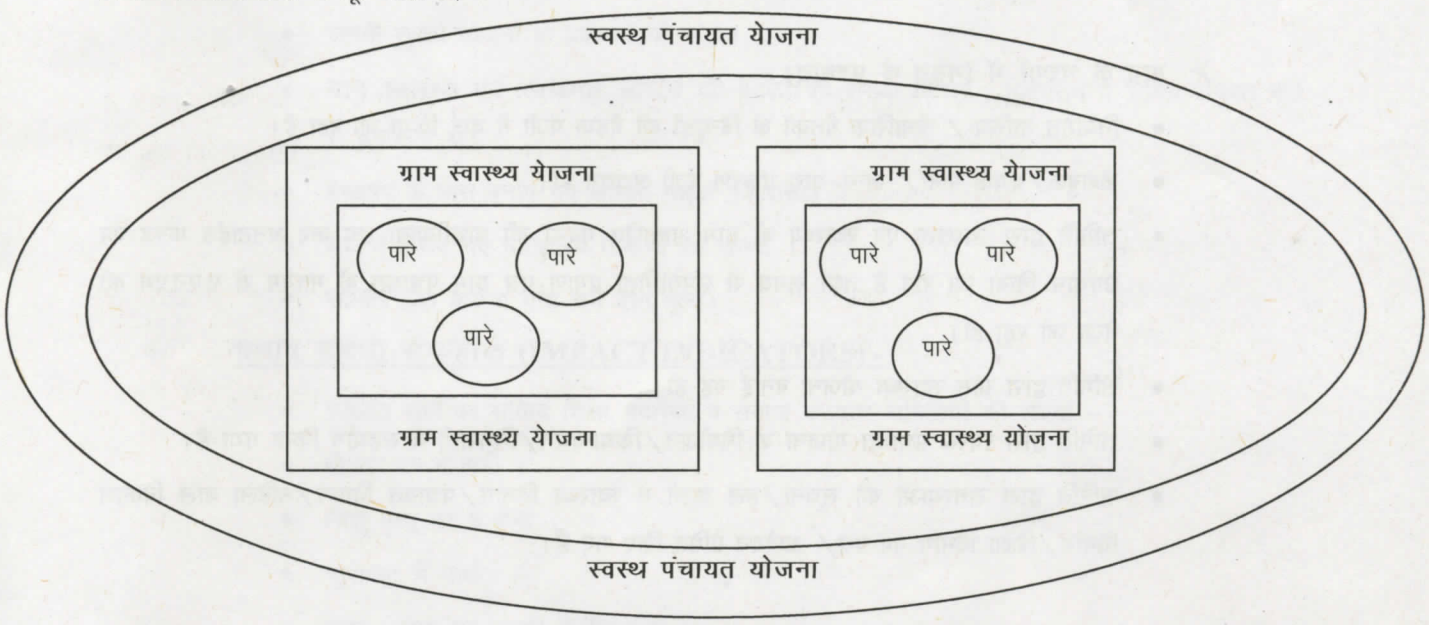

एक पूर्णरुपेण स्वस्थ्य पंचायत योजना निर्माण के लिये एवं सभी ग्रामों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जा रहा है। जिसके तहत् प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति होगी, जो अपने गांव की समस्याओं को चिन्हित कर उसके समाधान हेतु ग्राम स्वास्थ्य योजना बनायेगी। ग्राम स्वास्थ्य योजना का निर्माण मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत येाजना अंतर्गत 32 सूचकांको पर पारावार एकत्रित आंकड़ों के विष्लेशण से किया जाना चाहिये। 32 सूचकांकों के अलावा समिति, ग्राम की जरुरत अनुसार अन्य बिंदुओं की पहचान कर उन्हें भी सम्मिलित कर सकेगी। इस प्रकार विष्लेशण से एक ही ग्राम के विभिन्न पारों की कठिनाईयों की पहचान कर उपाय करने में आसानी होगी और ग्राम स्वास्थ्य योजना में इस प्रकार सभी पारों की वस्तुस्थिति का सम्मिलन होगा। एक पंचायत के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाई जायेगी। एक ही पंचायत के सभी ग्रामों की ग्राम स्वास्थ्य येाजना को मिलाकर स्वस्थ पंचायत योजना तैयार हो सकेगी। इस प्रकिया द्वारा हम सही लोकतांत्रिक ढंग से प्रभावी व परिणाममूलक पंचायत योजना का नियोजन कर कियान्वयन कर सकेंगे।

15. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की निगरानी राज्य, जिला व विकासखण्ड स्तर पर–

1. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता को नापने वाले प्रमुख बिन्दू :–

➢ **प्रारंभिक चरणों में (गठन दौरान) –**

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन हुआ है कि नहीं।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का खाता खुला, और उसमें अनटाईड फण्ड जमा हुआ है कि नहीं।
- निर्देशों के अनुरूप सदस्यों का चयन हुआ है अथवा नहीं।
- समिति से संबंधित, सभी प्रकार की पंजियॉ बनाई गई है कि नहीं।

➢ **बाद के चरणों में (गठन के पश्चात्) –**

- नियमित मासिक/ त्रैमासिक बैठकों के बिन्दूओं को बैठक पंजी में दर्ज किया जा रहा है।
- कैशबुक/देयक पंजी/ जन्म–मृत्यु प्रकरण पंजी अद्यतन हों।
- समिति द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के ग्राम आधारित मुद्दों की प्राथमिकता तय कर अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जा रहा है तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से ए.एन.एम को भेजा जा रहा हो।
- समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाई गई हो।
- समिति द्वारा स्वस्थ पंचायत योजना के नियोजन/कियान्वयन/निगरानी में सहयोग किया गया है।
- समिति द्वारा समस्याओं की सूचना/हल करने मे स्वास्थ्य विभाग/पंचायत विभाग/महिला बाल विकास विभाग/शिक्षा विभाग को पत्र/ आवेदन प्रेषित किए गए हैं।

2- उपलब्धि सूचकांक (OUTPUT INDICATORS)

- विकासखण्डवार आयोजित कलाजत्था की संख्या । –
- सभी वर्गो (मितानिन, कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव, समिति के सदस्य मितानिन प्रशिक्षक, जिला स्त्रोत व्यक्ति, खण्ड चिकित्सा अधिकारी आदि) को प्रशिक्षण (संख्या)। –
- कुल गठित **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ।** -
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** को वितरित राशि । वाले **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की संख्या । –
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** में सदस्यों की संख्या । –
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** को वितरित राशि । –
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** द्वारा व्यय राशि । –
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की संख्या, जिनके द्वारा राशि व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया ।**

–

3- परिणाम संबंधी सूचकांक (OUTCOME INDICATORS) -

- ग्राम सभा में किए गए सामाजिक अंकेक्षण । –
- तैयार ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं/स्वास्थ्य पंचायत योजनाएं । –
- पंचायत स्तर पर सकिय "शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति" की संख्या। –
- ग्राम स्तर पर हल किए गए स्वास्थ्य मुद्दो की संख्या । –
- जननी सुरक्षा योजना के प्रकरणों की संख्या । –
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति** की बैठकों की संख्या जिसमें , मितानिन व सचिव संयुक्त रूप से उपस्थित थे। –
- हैण्डपंप के पास बनाए गए सोख्ता गड्ढ़ों की संख्या । –
- घरों में कराए गए भौचालय निर्माणों की संख्या । –
- समिति द्वारा कराया गया श्रम दान मूल्य। –

4- प्रभाव संबंधी सूचकांक (IMPACT INDICATORS) -

- पंचायत स्तर पर सकिय शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समितियों की संख्या –
- बीमारी दर में कमी । –
- शिशु मृत्यु दर में कमी । –
- कुपोषण में कमी। –
- जन्म/ मृत्यु का 100% पंजीयन । –

16. ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में खाता खोलने हेतु आवश्यक प्रपत्र– अनुलग्नक A,B,C

प्रति

अनुलग्न "A"

ब्रांच मैनेजर

_____

_____

_____

विषय – नवीन खाता (बचत खाता) खोलने बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम ——— में "शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण" स्थाई समिति से सम्बधित "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" का गठन किया गया है। इस गठित समिति के लिए अपने बैंक में नवीन खाता (बचत खाता) " ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, ग्राम..... " के नाम से खोलने का कष्ट करेंगे।

इस नवीन बचत खाते के संयुक्त संचालन हेतु

1. ग्राम पंचायत सचिव ———————— एवं
2. संयोजक मितानिन ————————————को अधिकृत किया गया है। जिनके हस्ताक्षर नीचे अभिप्रमाणित किए गए हैं।

संलग्न

1. ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही की सत्यप्रति,
2. छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों की सत्यप्रति (निर्देशिका के पृष्ठ क्रमांक 7, 8, 9, 17, 18)
3. "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के सदस्यों के नाम

सरपंच ————————

ग्राम पंचायत ————————

विकासखण्ड————————

1. ग्राम पंचायत सचिव ————————हस्ताक्षर
2. संयोजक मितानिन ———————— हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित किया जाता है।

सरपंच

ग्राम पंचायत————————(सील)

अनुलग्न "B"

बैठक कार्यवाही (प्रारूप)

आज दिनांक ————————को ग्राम पंचायत की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आश्रित ग्राम ————————में "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया गया। शासन के निर्देशानुसार यह समिति ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति से संबंधित होगी। जिसका मुख्य उद्देशय ग्राम स्तर पर समस्याओं की पहचान कर, योजना बनाकर उसका हल करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार इस समिति का नवीन बचत खाता "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, ग्राम ....." के नाम से बैंक ———————— में खोलने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। खाते के संयुक्त संचालन के लिए

1. ग्राम पंचायत सचिव ————————————एवं
2. संयोजक मितानिन,————————————को अधिकृत किया जाता है ।

उपरोक्त प्रस्ताव निम्न सदस्यों की उपस्थिति में पारित किया गया–

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर

सचिव
ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत

अनुलग्न "C"

"ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति"

ग्राम ———————— ग्राम पंचायत————————

विकासखण्ड ————————

आज दिनांक ————————को ग्राम पंचायत बैठक में "शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति" के सभी सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य निम्नानुसार है–

क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अध्यक्ष
ग्रा.स्वा.स्व.स.

सचिव
ग्रा.स्वा.स्व.स.

संयोजक
ग्रा.स्वा.स्व.स.

अनुलग्न – "D"

उपयोगिता प्रमाण पत्र

माह – ग्राम – ग्राम पंचायत –

विकासखण्ड –

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा माह .....तक किए गए कुल व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है–

बैंक का नाम – खाता कमांक –

क.	माह	व्यय की गई राशि	फर्म/विक्रेता	ग्राम सभा का दिनांक जिसमें सामाजिक अंकेक्षण किया गया	रसीद (व्हाऊचर) का विवरण दिनांक/कमांक
कुल व्यय –			रूपये (शब्दो में .....)		

कुल प्राप्त राशि –

वर्तमान तक कुल व्यय –

कुल षेश राशि –

(नगद.....बैंक में –)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक .....तक समिति द्वारा कुल .....राशि का उपयोग किया जा चुका है।

सचिव
ग्रा.स्वा.स्व. समिति

संयोजक
ग्रा.स्वा.स्व. समिति

अध्यक्ष
ग्रा.स्वा.स्व. समिति

अनुलग्न – "E"

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(यदि पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम है, तो अनुलग्नक D अनुसार प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से पृथक – पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निम्नानुसार विवरण तैयार कर उसके साथ संलग्न कर ग्राम पंचायत द्वारा ए.एन.एम. को उपलब्ध कराया जावेगा।)

क.	ग्राम का नाम	समिति को प्राप्त कुल राशि	समिति द्वारा कुल व्यय	समिति के पास षेश राशि	ग्राम सभा के सामाजिक अंकेक्षण दिनांक
कुल योग					

संलग्न – संबंधित समिति/समितियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

सचिव
ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत

भाग – 2

विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका

(Roles of Functionaries at Different Field Levels)

1. मितानिन प्रशिक्षक (BRP) की भूमिका [क्षेत्र–संकुल (3 से 5 ग्राम पंचायतें)]

- ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति संबंधी दिशानिर्देश से अवगत कराना।
- ग्राम सचिव के साथ प्रत्येक ग्राम हेतु संयोजक मितानिन का चयन करने में उस ग्राम के सभी मितानिनों का सहयोग करना।
- दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के लिए सचिव और संयोजक मितानिन का संयुक्त खाता खोलने में ग्राम पंचायत को सहयोग करना।
- मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना अंतर्गत ग्राम के पारों के 32 सूचकांक आधारित आंकड़ो की पारावार जानकारी को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत कर ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में समिति को सहयोग देना सुनिश्चित करना। पंचायत स्तर पर सभी ग्रामो की ग्राम स्वास्थ्य योजना से स्वस्थ्य पंचायत योजना बनाने में पंचायतों की मदद करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर प्रशिक्षण लेने एवं मितानिनों को प्रशिक्षण देने में सहयोग करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सकियता सुनिश्चित करने के लिए पारा भ्रमण के दौरान मितानिनों/संयोजक मितानिनों, को सहयोग करना।
- संकुल बैठक में संयोजक मितानिन/मितानिनों को समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहयोग करना।
- संकुल में सक्रिय व निष्क्रिय समितियों की सतत् जानकारी मितानिन प्रशिक्षको की बैठक में प्रस्तुत करने में।
- बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली समितियों की पहचान कर उनकी जानकारी अन्य संकुल/मितानिन प्रशिक्षक बैठक में देना।
- संयोजक मितानिन को उसकी भूमिका के निर्वहन के सभी बिंदूओं पर सहयोग करना। इस हेतु आवश्यकतानुसार ए.एन.एम./ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय करना।
- माह में कम से कम पाँच समितियों की बैठक में भाग लेना तथा प्रत्येक ग्राम सभा में संयोजक मितानिन व सचिव को उनके कार्यो के प्रस्तुतिकरण में सहायता देना।

2. जिला स्त्रोत व्यक्ति (DRP) [क्षेत्र–10 संकुल (30 से 40 ग्राम पंचायतें)] –

- सभी पंचायतों एवं ग्रामों में स्वस्थ्य पंचायत योजना के 32 सूचकांको पर आधारित आंकड़े उपलब्ध कराना। 'स्वस्थ्य पचायत योजना'' के आंकड़ों पर प्रत्येक समिति में चर्चा सुनिश्चित कराना एवं ग्राम संबंधी प्रमुख बिन्दूओं के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में समिति और प्रशिक्षक को सहयोग देना। तदोपरांत ग्राम स्वास्थ्य योजना के आधार पर पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने में पंचायतो को सहयोग देना।
- जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति संबंधी दिशानिर्देशों से अवगत कराना।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर क्षेत्र समन्वयक से प्रशिक्षण प्राप्त करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर मितानिन प्रशिक्षक/मितानिनों को प्रशिक्षण देना (मितानिन प्रशिक्षक बैठक में, संकुल बैठक में, कैम्प प्रशिक्षण में आदि)
- सभी संकुलों में समिति के गठन, संयोजक मितानिन के चयन एवं बैंक में संयुक्त खाता खोलने में ग्राम पंचायतो/मितानिन प्रशिक्षको को सहायता करना। इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी से आवश्यक समन्वय करेंगे।
- मितानिन प्रशिक्षक बैठक में सक्रिय व निष्क्रिय समितियों की चर्चा कर सभी समितियों को सक्रिय करने में सहयोग करना।
- माह में कम से कम संकुल अंतर्गत 5 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की बैठक में भाग लेकर सहयोग करना।
- समितियों के संचालन में आ रही कठिनाईयों की पहचान कर उन्हे दूर करने के उपाय करना एवं जिला स्तरीय जिला स्त्रोत व्यक्तियो की बैठक में प्रस्तुत करना।
- समितियों की सक्रियता के लिए पंचायत विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग से ग्राम/सेक्टर/विकासखण्ड स्तर पर आवश्यक समन्वय करने हेतु उपाय करना।
- समिति व संम्बन्धित सभी जानकारियों पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों व जिला स्त्रोत व्यक्तियों की बैठक में चर्चा करना व क्षेत्र समन्वयक से सहयोग प्राप्त करना।

3. स्वयं सेवी संगठन (NGO) के सदस्यों एवं कम्यूनिटी मानिटरिंग फेम वर्क की भूमिका –

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत् ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति संबंधी दिशानिर्देशों के प्रचार प्रसार करने में– विशेषकर ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, युवा समितियों, समुदाय को इसकी जानकारी देने में।
- ग्राम/पंचायत/जनपद/जिला स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन/कियाशीलता में आ रही कठिनाइयों की पहचान कर उससे संबंधित लोगों को जानकारी देकर उन्हे दूर करने के उपाय करने में।

4. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी (BMO) की भूमिका (क्षेत्र–संपूर्ण विकासखण्ड) –

- जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/ ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के दिशानिर्देशों से अवगत कराना।
- सभी ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन। खाता खोलने में पंचायतो/ए.एन.एम./मितानिन प्रशिक्षकों को सहयोग सुनिश्चित करना।
- सेक्टरों की मासिक समीक्षा बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सतत् समीक्षा करना।

- स्वास्थ्य पंचायत योजना के लिए सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पारावार आंकड़ो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस आधार पर प्रत्येक समिति में इस पर चर्चा कर स्वास्थ्य पंचायत योजना में संबंधित ग्राम के प्रमुख मुद्दो को योजना में सम्मिलित कराना।
- समिति कीं सकियता के लिए ए.एन.एम./ जिला स्त्रोत व्यक्ति / मितानिन प्रशिक्षक/ पंचायत इंस्पेक्टर को आवश्यक सहयोग करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिशानिर्देशों के अनुरूप अनटाइड फण्ड का उपयोग सुनिश्चित कराना एवं समय से ए.एन.एम. के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति को समय से प्रेषित करना।
- मितानिन प्रशिक्षक बैठक में निश्क्रिय व सक्रिय समितियों पर चर्चा कर सभी समितियों को सक्रिय करने हेतु आवश्यक उपाय करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद स्तर के मुद्दों की पहचान कर जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी से समन्वय सुनिश्चित करना।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को प्रतिमाह ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की जानकारी/राशि के उपयोग संबंधी जानकारियाँ प्रेशित करना।
- प्रत्येक माह कम से कम एक समिति की बैठक में भाग लेना।
- यदि विकासखंड में किसी एक या दो पंचायत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तो अन्य पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण पत्र को न रोकें। छूटे पंचायत को अग्रिम दिखाकर शेष पंचायतों की कार्यवाही को आगे बढ़ायें।

5. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) /पंचायत इंस्पेक्टर की भूमिका (क्षेत्र–संपूर्ण विकासखण्ड) –

- सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति संबंधी दिशानिर्देश जारी करना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जानकारी देना।
- सभी ग्रामों में ग्राम पंचायतों के द्वारा सचिव/संयोजक मितानिन के नाम से संयुक्त खाता खोलने में सहयोग करना।
- ग्राम पंचायतो की स्थायी समिति "शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाजकल्याण" की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में भूमिका को स्पष्ट करते हुए सभी पंचायतों में स्थायी समिति को सक्रिय करने का प्रयास करना।
- सभी ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता के लिए मितानिन प्रशिक्षक / जिला स्त्रोत व्यक्ति / विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी /सचिव को सहयोग करना।

6. क्षेत्र समन्वयक (FC) की भूमिका (क्षेत्र–जिले में 5 से 6 विकासखण्ड) –

- जिला पंचायत/महिला बाल विकास/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/ ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के दिशानिर्देशों से अवगत कराना।
- राज्य स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर प्रशिक्षण लेना।
- सभी जिला स्त्रोत व्यक्ति / मितानिन प्रशिक्षक को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- मितानिन प्रशिक्षक / जिला स्त्रोत व्यक्ति / विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर उनकी भूमिका निर्वहन के सभी बिन्दूओं पर सहयोग करना।
- सभी पंचायतों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति तक स्वास्थ्य पंचायत योजना के आंकड़े उपलब्ध कराकर उस पर चर्चा कर ग्राम स्वास्थ्य योजना एवं स्वस्थ्य पंचायत योजना का निर्माण/क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक मितानिन प्रशिक्षक/ जिला स्त्रोत व्यक्ति बैठक में सक्रिय/निश्क्रिय ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पर चर्चा कर, स्वास्थ्य विभाग/महिला बाल विकास/शिक्षा/पंचायत विभाग से विकासखण्ड/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/जिला स्तर पर आव यक समन्वय सुनिश्चित करना ।
- प्रत्येक माह कम से कम एक समिति की बैठक में भाग लेना।
- जिला स्तर पर सक्रिय/निष्क्रिय समितियों की जानकारी तैयार कर सभी समितियों को सक्रिय करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहयोग करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की प्रगति की जानकारी तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत करना एवं राज्य को प्रेषित करना।

7. नोडल अधिकारी (मितानिन कार्यकम) की भूमिका (क्षेत्र–जिला) –

- जिला पंचायत/जनपद पंचायत/विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी/महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के दिशानिर्देशों से अवगत कराने में।
- जिला स्त्रोत व्यक्तियों/विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्र समन्वयक को उनकी भूमिका के निर्वहन में सहयोग देने में।
- सभी पंचायतों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति तक स्वास्थ्य पंचायत योजना के आंकड़े उपलब्ध कराकर उस पर चर्चा कर ग्राम स्वास्थ्य योजना एवं स्वस्थ्य पंचायत योजना का निर्माण/क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- जिला स्त्रोत व्यक्ति/मितानिन प्रशिक्षक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन/क्रियाशीलता संबंधी समस्याओं की पहचान कर उन्हे दूर करने के उपायो में।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की प्रगति की जानकारी तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत करना एवं राज्य को प्रेषित करना।

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)की भूमिका (क्षेत्र–जिला) –

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन/संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश सभी विकासखण्ड़ो/ग्राम पंचायतों के लिए प्रसारित करना। इसके लिए जिला पंचायत/जनपद पंचायत/महिला बाल विकास/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना।
- विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सतत् समीक्षा करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसायटी से प्राप्त राशि को सभी ग्राम पंचायतो को प्रदान करना। इसका समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ए.एन.एम./ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्राप्त कर राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को भेजना।
- विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी /क्षेत्र समन्वयक को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से संबंधित उनकी भूमिका के निर्वहन में सहयोग करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता के लिए पंचायत विभाग/महिला बाल विकास विभाग/शिक्षा विभाग से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना।
- सभी ग्राम पंचायतों में समिति स्तर पर स्वास्थ्य पंचायत योजना के आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस पर चर्चा कर स्वास्थ्य पंचायत योजना का निर्माण सुनिश्चित कराना।
- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की प्रगति से नियमित अवगत कराना।
- राज्य को नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की जानकारी/अनटाइड फण्ड के उपयोग की जानकारी प्रेषित करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन - प्रमुख चरण

1
मितानिन प्रशिक्षिका व सचिव द्वारा ग्राम में संयोजक मितानिन का चयन

2
संयोजक मितानिन/प्रशिक्षिका एवं सचिव द्वारा समिति के सदस्यो की सूची तैयार करने हेतु ग्राम के सभी सकिय स्वयं सहायता समूहो / पारे की महिला स्वास्थ्य समिति / आगनबाड़ी की महतारी समिति/ युवा समिति/ जल स्वच्छता समिति। नवा अर्जोर समूह / निर्मल ग्राम समिति / वन अधिकार समिति /महिला मण्डल आदि के अध्यक्षों की सूची तैयार करना ।

3
यदि ग्राम में ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य व समाज कल्याण स्थायी समिति का कोई सदस्य है तो उसे अध्यक्ष बनाएं। यदि नही तो निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ 5 अनुसार सरपंच अन्य पंच को स्थाई समिति में सम्मिलित कर अध्यक्ष के रूप में नामांकित करें ।

4
अध्यक्ष सचिव, संयोजक मितानिन व सदस्यों (अध्यक्षों की सूची) की एक सूची ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएँ ।

5
ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन का प्रस्ताव करना । (पृष्ठ 21 के अनुसार)

6
ग्राम पंचायत द्वारा पृष्ठ 20,21,22 के अनुसार **A/B/C** को भरकर निकट, के सरकारी बैंक में सचिव व संयोजक के संयुक्त नाम से खाता खोलना

7
ग्राम पंचायत, ग्राम सभा व स्थायी समिति की देखरेख में

पृष्ठ 5,6,7,8 में दर्शाये अनुसार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक करते हुए कार्य करना, अनटाईड फंड का उपयोग करना एवं ग्राम की स्वास्थ्य योजना बनाकर (उसका) कियान्वयन सुनिश्चित करना

8
ग्राम पंचायत द्वारा नियमित उपयोगिता प्रमाण पत्र ए.एन.एम को उपलब्ध कराना ।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

गांव और शहर की गरीब महिलाओं को बेहतर प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला को प्रसव के उपरांत मातृत्व सहायता हेतु नगद राशि दी जाती है, ताकि ज्यादा परिवारों की महिलाएं संस्थागत प्रसव कराएं तथा प्रसव संबंधी गंभीर समस्याओं से बचें। साथ ही उनसे जुड़ी मितानिन को कार्य आधारित प्रेरणा देते हुए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्यादा महिलाओं को संस्थागत प्रसव के माध्यम से बेहतर प्रसव सेवा उपलब्ध हो। जिससे मातृमृत्यु दर के साथ–साथ शिशु मृत्युदर में भी कमी आ सके। इस योजनांतर्गत प्रावधान निम्नानुसार है –

1. घर पर प्रसव कराने पर –

   - घर में प्रसव हेतु गर्भवती महिला को निम्नलिखित शर्ते पूर्ण होने पर 500/– रुपये देने का प्रावधान है –
   - गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
   - महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो।
   - दो या दो से कम जिवित बच्चों तक या तीसरे बच्चे की स्थिति में परिवार नियोजन की लिखित सहमति प्रस्तुत करने पर।

2. संस्थागत प्रसव कराने पर –

   - वे संस्थाये जहाँ प्रसव करवाने में आर्थिक लाभ मिलेगा, निम्न है–
   - उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
   - जिला चिकित्सालय व , मेडिकल कॉलेज से जुडे अस्पताल
   - उपरोक्त संस्थाओं में प्रसव होने पर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिलाओं को 1400/–रू. की राशि संस्था द्वारा प्रत्येक प्रसव पर दिया जावेगा।
   - संस्थागत प्रसव में शहरी क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक प्रसव पर 1000/– रू. की राशि संस्था द्वारा प्रत्येक प्रसव पर दिया जावेगा। ध्यान रखे इसके लिए किसी भी प्रकार की अन्य शर्तें नहीं है।
   - संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिये संस्था मे लेकर आने पर मितानिन को 200/– रू. की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
   - ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला के प्रसव के लिये साथ आने वाली मितानिन को/परिवार के सदस्य को अधिकतम 400/– रू. परिवहन राशि संस्था द्वारा दी जावेगी।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि –

1. ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को योजना की पूर्ण जानकारी हो।
2. हमारे सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में, दक्ष चिकित्सक तथा सहायक दल उपलब्ध हो।
3. सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के संभावित तिथि के आधार पर संस्थागत प्रसव हेतु रेफर किया जाये। योजना के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए समुदाय तथा विभाग की ओर से प्रयास हो।
4. मितानिन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ए.एन.सी. पंजीयन की जानकारी हो।

इन योजनाओं का फायदा सभी पात्र लोगों को पहुंचे, इसके लिए सभी महिलाओं को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक में योजना के बारे में जानकारी देवें। ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस योजना पर खुली चर्चा अवश्य कराई जानी चाहिए।